...हुई। वकील प्रार्थी उप०।

प्रा. पत्र अन्तर्गत आदेश 1 नियम 10 CPC पर वकील प्रार्थी की बहस सुनी गयी। वकील प्रार्थी ने दौराने बहस निवेदन किया कि O 1 R 10 CPC के Provisions इस एक्ट पर लागू नहीं होते है। अतः प्रा. पत्र O 1 R 10 CPC खारिज फरमाया जावे।

प्रा. पत्र O 1 R 10 CPC के प्रस्तुतकर्ता अधिवक्ता के प्रतिनिधि ने बहस हेतु एक अवसर चाहा है। अवसर दिया जाता है।

पत्रावली वास्ते सुने जाने शेष बहस प्रा. पत्र O 1 R 10 CPC दिनांक 20/6/24 को पेश हो।

कमर चौधरी
जिला कलक्टर, सीकर

20.06.24. पत्रावली पेश हुई। वकील अपीलांट एवं वकील श्री धर्मवीरसिंह उपस्थित। प्रस्तुत प्रा०पत्र आदेश 1 नियम 10 CPC एवं जवाब प्रा०प० का अवलोकन किया। बहस प्रा०प० O 1 (10) सुनी गई। आदेश 1 नियम 10 के प्रावधान इस प्रकरण पर लागू नहीं होते हैं। प्रा०प० O 1 (10) खारिज किया जाता है।

पत्रावली का अवलोकन किया। उक्त प्रकरण से संबंधित एक अन्य प्रकरण सं. 06/2016 फूलाराम बनाम भू० अवा० अधिकारी का निस्तारण न्यायालय द्वारा कर दिया गया है। दोनों पत्रावलियों के तथ्य समान हैं। अतः प्रकरण को आगे चलाने का कोई औचित्य नहीं है। पत्रावली इसी स्तर पर निस्तारित की जाती है। निर्णय की प्रति इस पत्रावली के संलग्न की जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

कमर चौधरी
जिला कलक्टर, सीकर